ग्रामीण सेवा शिविर-2025

प्रपत्र-बी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प ...साडड़ी...

—: आदेश :—

प्रार्थी के "खाता दुरूस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ...साडड़ी... व भू.अ.नि. ...चोकड़ी... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार ...देवगढ़... / नायब तहसीलदार ...—... की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ...अराई... तहसील ...देवगढ़... व जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् ...2077... में खाता संख्या 56,57,172,209 वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :—

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	अराई	56	सकू लोहार	हकू लोहार
2.	—1—	57	—1—	—1—
3.	—1—	172	—1—	—1—
4.	—1—	209	—1—	—1—

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ——

दिनांक :- 4 OCT 2025

क्रमांक:— 196

प्रतिलिपि :—

1. तहसीलदार ...देवगढ़... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री ...हकू लोहार निवासी अराई... को सूचनार्थ।
3. संलग्न पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ——